



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08022025-260834
CG-DL-E-08022025-260834

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 649]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 7, 2025/माघ 18, 1946

No. 649]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 7, 2025/MAGHA 18, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2025

का.आ. 653(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4453 तारीख 11/10/2024, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के रामपुर जिले में रामपुर के मौजूदा बाईपास को फोर लेनिंग के कि.मी. 0 से कि.मी. 8.5 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "18.10.2024 " को "हिन्दुस्तान टाइम्स " और "अमर उजाला " दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और सक्षम अधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के रामपुर जिले में रामपुर के मौजूदा बाईपास को फोर लेनिंग के कि.मी. 0 से कि.मी. 8.5 तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश			जिले का नाम: रामपुर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: रामपुर (सदर)					
गांव का नाम: मन्सूरपुर					
1	322	निजी	कृषि	0.112	कोमल रास्तौगी/असित रास्तौगी, मीनू/मुकेश कुमार रास्तौगी, श्रीमति रेहना बी/रईस अहमद। 322
गांव का नाम: आगापुर					
2	559	निजी	कृषि	0.027	नत्थू/बाबू राम, मेवा राम/मोहन/ख्याली राम/भागीरथ/त्रिलोकी/भागीरथ/रमेश चन्द्र/भागीरथ/मुरारी लाल/केसरी, बाबू/कल्लू, लाखन/कल्लू, वलवीर/कल्लू, श्रीमती मुन्नी/कल्लू, जीवन लाल/रतीराम, गेंदन लाल/रतीराम, जानकी प्रसाद/रतीराम, वीर सिंह/रामस्वरूप, सोमवती पब्लिक स्कूल/आगापुर प्रबन्ध, मोहन कुमार/पूरन सिंह, आनन्दी/धर्मसिंह, श्रीमती श्यामा देवी/धर्मसिंह, कमल सिंह/ख्याली राम, विमल/ख्याली राम, अरविन्द्र/ख्याली राम, श्रीमती शीला देवी/ख्याली राम, आकाश पाल/नोनी

					<p>राम, श्रीमती भूरी/नोनी राम, सड़क परिवहन और/राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार/राष्ट्रीय राजमार्ग, महीपाल/मेवाराम, बब्लू/मेवाराम, जसवन्त/मेवाराम, कल्याण/मेवाराम, राकेश/मेवाराम।</p> <p>559</p>
3	657	निजी	कृषि	0.021	<p>कु0 अंजलि/खुबीराम, कुवर/हिम्मत सिंह, जगमोहन सिंह/निर्मल सिंह, थानेदार सिंह/हिम्मत सिंह, भीससैन/हिम्मत सिंह, मनमोहन सिंह, निर्मल सिंह, मनीष यादव/खुबीराम, श्रीमती कमला/निर्मल सिंह, श्रीमती रूपवती/खूबी राम, सड़क परिवहन और/राजमार्ग मंत्रालय /भारत सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग, सिपटटर सिंह/हुलासी सिंह, सुखवीर सिंह/हुलासी सिंह।</p> <p>657</p>
गांव का नाम: दुर्ग नगला					
4	107	निजी	कृषि/गैर कृषि	0.095	<p>समीर रज़ा खान / साबिर रज़ा खान.</p> <p>107</p>
गांव का नाम: फैजुल्लानगर					
5	244	निजी	कृषि	0.0075	<p>इकरा ना वा/रईस अहमद सं माता सगी शमीम जहां, इरम बी।/रईस अहमद, गुलनाज ना वा/रईस अहमद सं माता सगी शमीम जहां, जमील अह/अली हसन, मो अह/अली हसन, शादाब अली/रईस अहमद, श्रीमती शमीम/रईस अहमद, सरताज अली/रईस अहमद।</p> <p>244</p>
गांव का नाम: अजीतपुर (सीटी)					
6	431	निजी	कृषि	0.088	<p>गुलाम रब्बानी/गुलाम साबिर, गुलाम</p>

					रहमानी/गुलाम साबिर, गुलाम सुभानी/गुलाम साबिर, ज्ञान सिंह/दुर्जन लाल। 431
7	446/1	निजी	कृषि	0.018	इसरार हुसैन/मंजूर हुसैन, गफ्फार हुसैन/मंजूर हुसैन, बूटा सिंह/शहजादा सिंह, महेन्द्र सिंह/रामफल सिंह, शान्ति प्रसाद/गोपीराम, श्रीमती उषा देवी/राजू सिंह, श्रीमती शादाब जहां/नाजिम अली, सरताज हुसैन/इकबाल हुसैन 446/1
Total				0.3685	

[फा. सं. 11015/2/2021/PIU-MBD/3D]

अभय जैन, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th February, 2025

S.O. 653(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **S.O. 4453 Dated:11/10/2024**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of 4 laning of existing bypass of Rampur in the stretch of land from Km. 0 to Km. 8.5 in the district of RAMPUR in the state of UTTAR PRADESH

And whereas the substance of the said notification has been published in “Hindustan Times” and “Amar Ujala” both dated 18.10.2024 under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objection has been received from any person, by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the 4 laning of existing bypass of Rampur in the stretch of land from Km. 0 to Km. 8.5 in the district of RAMPUR in the state of UTTAR PRADESH.

State: UTTAR PRADESH			District: RAMPUR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Rampur (Sadar)					
Village: Mansurpur					
1	322	Private	Agriculture	0.112	Komal Rastogi/Asit Rastogi, Meenu/Mukesh Kumar, Smt. Rahna B/Raes Ahmed. 322
Village: Aghapur					
2	559	Private	Agriculture	0.027	Natthu/Babu Ram, Mewa Ram/Mohan/Khayali Ram/Bhagirath/Triloki/Bhagirath/Ramesh Chandra/Bhagirath/Murari Lal/Kesari, Babu/Kallu, Lakhan/Kallu, Valveer/Kallu, Smt. Munni/Kallu, Jeevan Lal/Ratiram, Gadajn lal/Ratiram, Janaki Prasad/Ratiram, Veer Singh/Ramswaroop, Somvati Public School/Agapur Management, Mohan Kumar/Puran Singh, Anandi/Dharam Singh, Mrs. Shyama Devi/Dharam singh, Kamal Singh/Khayali Ram, Vimal/Khayali Ram, Arvindra/Khayali Ram, Smt. Sheela Devi/Khayali Ram, Akash Pal/Noni Ram, Smt. Bhuri/Noni Ram, Ministry of Rural, Road Transport and Highways Government of India/National Highways, Mahipal/Mevaram, Bablu/Mevaram, Jaswant/Mevaram, Kalyan/Mevaram, Rakesh/Mevaram. 559
3	657	Private	Agriculture	0.021	Ms Anjali/Khubiram, Kuwar/Himmat Singh, Jagmohan Singh/Nirmal Singh, Thanedar Singh/Himmat Singh, Bhissain/Himmat Singh, Manmohan Singh/Nirmal Singh, Manish Yadav/Khubiram, Smt. Kamla/Nirmal Singh, Smt. Rupwati/Khubi Ram, Ministry of Rural, Road Transport and Highways/Government of India National Highways, Sipattar Singh/Hulasi Singh, Sukhveer Singh/Hulasi Singh. 657
Village: Durgnagala					
4	107	Private	Agriculture/Non Agriculture	0.095	Sameer Raza Khan / Sabir Raza Khan. 107
Village: Faizullah Nagar					
5	244	Private	Agriculture	0.0075	Iqra na wa/Raes Ahmed son of real mother Shamim Jahan, Iram B./Raes Ahmed, Gulnaz na wa/Raes Ahmed son of real mother Shamim Jahan, Jameel Ah/Ali Hasan, Mo Ah/Ali Hasan,

					Shadab Ali/Raees Ahmed, Mrs. Shamim/Raees Ahmed, Sartaj Ali/Raees Ahmed. 244
Village: Ajitpur (CT)					
6	431	Private	Agriculture	0.088	Ghulam Rabbani/Ghulam Sabir, Ghulam Rehmani/Ghulam Sabir, Ghulam Subhani/Ghulam Sabir, Gyan Singh/Durjan Lal. 431
7	446/1	Private	Agriculture	0.018	Israr Hussain/Manzoor Hussain, Ghaffar Hussain/Manjoor Hussain, Buta Singh/Shahzada Singh/Wazirnagar, Mahendra Singh/Ramphal Singh, Shanti Prasad/Gopiram, Mrs. Usha Devi/Raju Singh, Mrs. Shadab Jahan/Nazim Ali, Sartaj Hussain/Iqbal Hussain. 446/1
Total				0.3685	

[F. No. 11015/2/2021/PIU-MBD/3D]

ABHAY JAIN, Director